



महिला कल्याण निदेशालय, उत्तराखण्ड

प्रारूप-28

(नियम 21(3) और 22(4)

पंजीकरण प्रमाण पत्र

(किशोर न्याय अधिनियम की धारा 41 के अधीन)

प्रमाण पत्र संख्या 59 / 2019-20

दिनांक 16 अक्टूबर, 2019

प्रारूप संख्या 27 अनुसार प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करने के पश्चात, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 41(1) के अन्तर्गत स्वैच्छिक संस्था "रफेल राइडर चेशायर इंटरनेशनल सेंटर, मोहनी रोड, देहरादून" को दिनांक 16 अक्टूबर, 2019 से बाल देखरेख संस्थान के तौर पर 05 वर्ष की अवधि तक वैध पंजीकरण संख्या 59 (07 से 18 वर्ष की दिव्यांग बालिकाओं हेतु) प्रदान किया जाता है।

स्वैच्छिक संस्था "रफेल राइडर चेशायर इंटरनेशनल सेंटर, मोहनी रोड, देहरादून" में 7 से 18 वर्ष आयुवर्ग की 60 बालिकाओं की क्षमता है। यह संस्था किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 तथा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2016 तथा केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर बनाए गये नियमों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगी।

संस्था का पूरा नाम- "रफेल राइडर चेशायर इंटरनेशनल सेंटर, मोहनी रोड, देहरादून"

यह प्रमाण पत्र दिनांक 16 अक्टूबर 2019 को हस्ताक्षरित किया जा रहा है।


(मेजर योगेन्द्र यादव)

निदेशक

महिला कल्याण

उत्तराखण्ड

(Handwritten signature)



महिला कल्याण निदेशालय, उत्तराखण्ड
प्रारूप-28
(नियम 21(3) और 22(4)
पंजीकरण प्रमाण पत्र
(किशोर न्याय अधिनियम की धारा 41 के अधीन)

प्रमाण पत्र संख्या 52/2019-20

दिनांक 16 अक्टूबर, 2019

प्रारूप संख्या 27 अनुसार प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करने के पश्चात, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 41(1) के अन्तर्गत स्वैच्छिक संस्था "रफेल राइडर चेशायर इंटरनेशनल सेंटर, मोहनी रोड, देहरादून" को दिनांक 16 अक्टूबर, 2019 से बाल देखरेख संस्थान के तौर पर 05 वर्ष की अवधि तक द्वैध पंजीकरण संख्या 52 (07 से 18 वर्ष के दिव्यांग बालकों हेतु) प्रदान किया जाता है।

स्वैच्छिक संस्था "रफेल राइडर चेशायर इंटरनेशनल सेंटर, मोहनी रोड, देहरादून" में 7 से 18 वर्ष आयुवर्ग की 60 बालकों की क्षमता है। यह संस्था किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 तथा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2016 तथा केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर बनाए गये नियमों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगी।

संस्था का पूरा नाम- "रफेल राइडर चेशायर इंटरनेशनल सेंटर, मोहनी रोड, देहरादून"

यह प्रमाण पत्र दिनांक 16 अक्टूबर, 2019 को हस्ताक्षरित किया जा रहा है।

(मेजर योगेन्द्र यादव)
निदेशक
महिला कल्याण
उत्तराखण्ड

(11/10/19)